न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 30/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार भू.अ. सायला जिला जालोर		श्री बाबूसिंह पुत्र भवरसिंह वगैरह जातियान राजपुत निवासी थलवाड

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित– 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरों के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत यह है कि ग्राम थलवाड के नक्शा शीट में खसरा नम्बर 113/1738 दर्ज है परन्तु ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 113/1738 की बजाय 112/1738 रकबा 1.48 हे., अलावा जोत काबिल काश्त राजस्थान सरकार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071–74 में भी उक्त खसरा नम्बर 112/1738 रकबा 1.48 हे., में नेताराम पुत्र पुनमाजी सुकीदेवी पत्नी नेनाराम कौम बंजारा भाट सा.देह गैर खातेदार दर्ज है । मिसल बन्दोबश्त के मिलान क्षेत्रफल में भी उक्त खसरा नम्बर 113/1738 के रूप में ही दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में 112/1738 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि नक्शा अनुसार मिसल बन्दोबश्त एवं तदनुसार जमाबन्दियों में खसरा नम्बर 112/1738 की बजाय 113/1738 शुद्ध संशोधन किया जाने निवेदन किया है ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रर्थीगण यह खातेदार को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त है। अप्रार्थीगण द्वारा सहमती पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 112/1738 की बजाय 113/1738 किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण का सहमती पत्र का का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड के नक्शा शीट में खसरा नम्बर 113/1738 दर्ज है परन्तु ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 113/1738 की बजाय 112/1738 रकबा 1.48 हे., अलावा जोत काबिल काश्त राजस्थान सरकार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2071–74 में भी उक्त खसरा नम्बर 112/1738 रकबा 1.48 हे., में नेताराम पुत्र पुनमाजी सुकीदेवी पत्नी नेनाराम कौम बंजारा भाट सा.देह गैर खातेदार दर्ज है । मिसल बन्दोबश्त के मिलान क्षेत्रफल में भी उक्त खसरा नम्बर 113/1738 के रूप में ही दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में 112/1738 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम थलवाड के मिसल बन्दोबस्त व जमाबंदी में खसरा नम्बर 112/1738 की बजाय 113/1738 दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली,तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत है तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार सरहद मोजा थलवाड की मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 112/1738 की बजाय 113/1738 दुरूस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड की वर्तमान जमाबंदी के खसरा नम्बर 112/1738 की बजाय 113/1738 की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक 20/8/19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला